न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या– 15/2022

1. चुन्नीराम पुत्र डुगरराम जाति नायक साकिन पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–असल रेस्पोडेन्टस

2. रामेश्वर प्रसाद पुत्र ख्यालीराम जाति नायक साकिन पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
3. सुखराम पुत्र ख्यालीराम जाति नायक साकिन पूरबसर तहसील रावतसर।
4. विद्या पुत्री ख्यालीराम जाति नायक साकिन पूरबसर तहसील रावतसर।
5. सोमवती पुत्री ख्यालीराम जाति नायक साकिन पूरबसर तहसील रावतसर।
6. चुका देवी पत्नि ख्यालीराम जाति नायक साकिन पूरबसर तहसील रावतसर।
7. गुड्डी पत्नि बृजलाल जाति नायक साकिन पूरबसर तहसील रावतसर।
8. रामपाल पुत्र बृजलाल जाति नायक साकिन पूरबसर तहसील रावतसर।
9. सोहनलाल पुत्र बृजलाल जाति नायक साकिन पूरबसर तहसील रावतसर।
10. विनोद पुत्र बृजलाल जाति नायक साकिन पूरबसर तहसील रावतसर।
11. रमेश पुत्र बृजलाल जाति नायक साकिन पूरबसर तहसील रावतसर।
12. रिछपाल पुत्र बृललाल जाति नायक साकिन पूरबसर तहसील रावतसर।
13. मोहनलाल पुत्र बृजलाल जाति नायक साकिन पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
14. शान्ति देवी पुत्री डुंगरराम जाति नायक साकिन पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
15. बिरमा देवी पुत्री डुंगरराम जाति नायक साकिन पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:00:34 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

16. रामेश्वरी उर्फ प्रमेश्वरी उर्फ बाजनों पुत्री डुंगरराम जाति नायक साकिन पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

17. मीरां देवी पुत्री डुंगरराम जाति नायक साकिन पूरबसर तहसील रावतसर।

18. लिछमा देवी पुत्री डुंगरराम जाति नायक साकिन पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–तरतीबी रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट।

श्री मांगीराम बैनिवाल अधिवक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 18

निर्णय

दिनांक–04.04.2024

अपीलांट चुन्नीराम पुत्र डुंगरराम जाति नायक साकिन पूरबसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ द्वारा नामान्तरण सं. 904 स्वीकृति आदेश दिनांक 08.01.2008 बअदालत तहसीलदार राजस्व रावतसर को अपास्त किये जाने बाबत अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. अपीलाधीन नामान्तरण सं. 904 स्वीकृति दिनांक 08.01.2008 बअदालत तहसीलदार राजस्व रावतसर रोही मौजा पूरबसर तहसील रावतसर विधि की अवहेलना में पारित किया गया है, जो अपास्तनीय है।

2. अपीलाधीन नामान्तरण रोही मौजा पूरबसर तहसील रावतसर के खाता सं. 370/357 हाल खसरा 1091 की 0.4800 हैक्टेयर भूमि ख.न. 1095 की 2.2390 हैक्टर भूमि, ख.न. 940 की 10.221 हैक्टेयर भूमि ख.न. 941 की 5.3630 हैक्टेयर भूमि कुल तादादी 18.3030 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि में अपीलान्ट के सह खातेदार 1/2 हिस्सा के डुंगरराम वल्द सरदाराराम के दिनांक 26.06.2003 को फौत होने पर अपीलाधीन नामान्तरण उनके वारिसान के दर्ज होना था परन्तु अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज करते वक्त मातहत अदालत ने राजस्व अभियान प्रशासन ग्राम संग पूरबसर तहसील रावतसर में गैर कानूनी रूप से दर्ज व स्वीकृत किया गया है क्योंकि उक्त नामान्तरण बिरजाराम पुत्र [illegible] [illegible] कि उस वक्त मृतक था, के नाम दर्ज किया गया है जबकि बिरजाराम पुत्र [illegible] दिनांक 21.11.2002 को फौत हो चुका था। राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर के मेडिकल आफिसर इन्चार्ज रिकार्ड रूम से जारी Death Certificate से रोशन है। उक्त दस्तावेज अपीलान्ट ने मातहत अदालत के समक्ष अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत करते समय प्रस्तुत किये थे। बिरजाराम के वारिसान तरतीबी रेस्पोडेन्टस सं. 7 ता 11 के नाम दर्ज किया जाना था उनका सयुक्ततः 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे। चुंकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:00:34 IST
Reason: SelfAttested

जिला ... नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

तरतीबी रेस्पोडेन्टस सं. 7 ता 11 के नाम भूमि दर्ज ना करके उनके मृतक पिता बिरजाराम पुत्र डुंगरराम के नाम दर्ज कर दी जबकि मृतक विरूद्व दर्ज किया गया नामान्तरण/डिक्री नलीटी है जैसा कि DNJ 1998 (2) P& 376 & 435 & 2005 S.B.R. (8) Page- 1 सुप्रिम कोर्ट 2002 RRD P-714 में हैल्ड किया है। इसलिए मृतक के विरूद्व स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरण अपास्तनीय है।

3. अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज किये जाते वक्त मातहत अदालत ने कई पक्षकारो को छोड़ दिया तथा उनके डुंगरराम के वारिसान होने के बावजुद अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज ही नही किया क्योंकि बिरमा व लिछमादेवी दोनो डुंगरराम की लड़की है दोनो के नाम विरास्तन नामान्तरण दर्ज ही नही किया इसके अतिरिक्त बाजनो व प्रमेश्वरी एक ही लड़की के दो नाम है, जो एक लड़की के दो बार भूमि दर्ज कर दी। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरण बिरमा व लिछमा को उनके खातेदारी हक हकुक समाप्त करने वाला अवैध दस्तावेज है, जो न्यायिक दृष्टान्त RLW 2002 (2)P-108 के अनुसार नामान्तरण अवैध है तथा खारिज योग्य है।

4. मातहत अदालत ने अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज करते वक्त समस्त पक्षकारों को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया तथा बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के मजमें आम में नामान्तरण के कॉलम संख्या 16 में नामान्तरण दर्ज किये जाने दस्तावेजी साक्ष्य ना होकर केवल पटवारी हल्का द्वारा पूछताछ के आधार पर दर्ज किया गया है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरण साक्ष्य विधि के नियमों के विपरित दर्ज किया गया, जो खारिज योग्य है।

5. अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज किये जाने के वक्त मातहत अदालत ने नामान्तरण के कॉलम संख्या 7 में दर्ज किया है कि इन्तकाल सं. 892 से मिलान करें जबकि नामान्तरण सं. 892 पूर्णराम वल्द अर्जन कौम नायक को फौत मानकर दर्ज किया था, जो बाद में पूर्णराम के द्वारा स्वंय के जीवित होने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर पुनर्वलोकन कर इन्तकाल सं. 892 खारिज किया गया। खारिज नामान्तरण में भी अपीलान्ट व अन्य वारिसान के नाम पूर्ण [illegible] दे रखे है। अस्वीकृत नामान्तरण संख्या 892 [illegible] नामान्तरण दर्ज किया गया है। इसलिए खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:00:34 IST
Reason: SelfAttested

6. अपीलाधीन नामान्तरण के कॉलम संख्या 3 में [illegible] संख्या दर्ज किये जाने से सम्बधित है। जिसमें मातहत अदालत ने दर्ज ही नहीं किया कि भूमि पूरबसर के कौनसे खसरा नंबर की है, मात्र क्षेत्रफल के आधार पर बिना खसरों के ही नामान्तरण दर्ज किया गया है। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरण अपास्तनीय है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर

7. अपीलान्ट को पूर्व में अपीलाधीन नामान्तरण में दर्ज तथ्यों के बारे में ज्ञान नहीं था। अपीलान्ट के बहिन लिछमा व बिरमा ने दिनांक 15.03.2022 को होली के एक दिन पहले पूरबसर घर पर आई तथा उन्होनें अपीलान्ट पर धोखा करने का आरोप लगाते हुए फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दी, तो अपीलान्ट ने अपनी बहिनों से कारण पुछा तो बताया कि तुमने हमारे हिस्सा की भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली। बिरजाराम व ख्यालीराम दोनो फौत हो गये। तुम्हें उपरोक्त वारिसान का ज्ञान था। तब अपीलान्ट ने बताया वो अनपढ़ है। उसे ज्ञान नही है। इन्तकाल अदालत से खारिज करवा लेगा जिस पर अपीलान्ट ने अगले दिनांक 16.03.2017 को पटवारी हल्का से मिला अपीलाधीन नामान्तरण की प्रमाणित नकलें लेकर अपने अभिभाषक को दिखाने पर वास्तविकता का पता चला। इसलिए अपीलाधीन नामान्तरण की अपील ज्ञान से अन्दर मियाद है। द्वितीय मेरीटोरियस प्रकरण है तथा बहिनों के नाम नामान्तरण में दर्ज ही नही किया, इसलिए मेरीटोरियस प्रकरण में मियाद लागु नहीं होती है। फिर भी सुविधा की दृष्टि से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरण सं. 904 स्वीकृति आदेश दिनांक 08.01.2008 बअदालत तहसीलदार राजस्व रावतसर रोही मौजा पूरबसर तहसील रावतसर अपास्त फरमाया जाकर पुनः नये शिरे से दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर नामान्तरण दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

अपील प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या-1 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या -2 ता 18 की ओर से श्री मांगीराम बैनिवाल एडवोकेट द्वारा वकालतनामा मय इकलबाल अपील पेश किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नामान्तरण संख्या 904 दिनांक 08.01.2008 रोही मौजा पूरबसर को भरते सम[illegible] न्यायालय तहसीलदार रावतसर द्वारा कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया [illegible] अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तरण [illegible] रोही मौजा पूरबसर को अपास्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:00:34 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में न्यायालय गुणावगुण के आधार पर अपील का निर्णय करनें बाबत निवेदन किया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करनें पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर द्वारा नामान्तरण संख्या 904 दिनांक 08.01.2008 रोही मौजा पूरबसर को भरते समय नामान्तरण के कॉलम संख्या 7 में दर्ज किया है कि नामान्तरण संख्या 892 से मिलान करे जबकि नामान्तरण सं. 892 दिनांक 08.01.2008 पूर्णराम वल्द अर्जन कौम नायक को फौत मानकर दर्ज किया था, जो बाद में पूर्णराम के द्वारा स्वंय के जीवित होने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर पुनर्वलोकन कर नामान्तरण संख्या 892 रोही मौजा पूरबसर खारिज किया गया। जिसमें डुंगरराम पुत्र सरदारा के वारिसान को पूर्णराम वल्द अर्जन के वारिस मानकर नामान्तरण संख्या 892 दर्ज किया गया था। जिसमें डुंगर राम पुत्र सरदारा की पुत्रियों बिरमा व लिछमादेवी नाम छोड़ दिया गया एंव बाजनों व प्रमेश्वरी एक ही लड़की के दो नाम है, जो एक लड़की के दो बार भूमि दर्ज कर दी।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतसर द्वारा डुंगरराम पुत्र सरदारा के वारिसान की जांच किये बिना ही नामान्तरण संख्या 904 दिनांक 08.01.2008 दर्ज कर दिया, जो कि न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 904 दिनांक 08.01.2008 रोही मौजा पूरबसर तहसील रावतसर को अपास्त किया जाता है एंवम तहसीलदार रावतसर को पत्रावली प्रतिप्रेषित (Remand) की जाकर निर्देशित किया जाता है कि डुंगरराम पुत्र सरदारा के विधिमान्य वारिसान की जांच कर एंव पुनः सुनवाई कर नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.04.2024 को सरेइजलास सुनाया गया

(गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Lal Swarnkar
Date: 2024.06.03 16:00:34 IST
Reason: SelfAttested